पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

6/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] पक्ष उपस्थित। पत्रावली जवाब पेश हेतु व तामील अप्रार्थी दिनांक 17/4/25 को पेश हो। पी.ओ. महो. कार्य में व्यस्त हैं।

17/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/5/25 को पेश है।

13/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/6/25 को पेश है।

18/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/7/25 को पेश है।

14/7/25 पत्रावली प्रार्थीगण कमलेश कंवर व नरेन्द्र सिंह के आवेदन पत्र बाबत पत्रावली न्यायालय पर आज पेशी से पूर्व पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीगण स्वयं हाजिर आये। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी ओमसिंह की दिनांक 8/5/25 को मृत्यु हो चुकी है। जिनकी विधवा पत्नी कमलेश कंवर एवं नरेन्द्र सिंह पुत्र हैं जो उक्त प्रकरण में आगे ही चलाना चाहते हैं अतः [illegible]। प्रार्थीगण के आवेदन पर [illegible]

RTI कमलेश [illegible]

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

लय सहायक कलक्टर (मु०) सीकर

न मोहन सिंह बनाम सर्वसाधारण

ा नं. दावा 126/2023

पहचान के रूप में आधार कार्ड की फोटो प्रतिलिपि प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थीगण की पहचान एवं प्रार्थीगण की वारिसान ने भी तथा आर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थीगण स्वयं एवं वकील प्रार्थीगण के अनुरोध पर वाद वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद कार्यवाही आवश्यक उपरान्त हो। निर्णय आज दिनांक 14/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर